

मानव अधिकार और कोविड—१९ का बच्चों पर प्रभाव
उल्का शशिकांत फराकटे.राज्यशास्त्र अधिविभाग,शिवाजी विश्वविद्यालय, विद्यानगर,
कोल्हापूर. ४१६००४. महाराष्ट्र. मो.नं. ९३५९८२५९४ १; ९५२७१६४६६९.

प्रस्तावना

मानव ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है। उसका संरक्षण किया जाना अत्यावश्यक है। इसी कारण मानव अधिकारों की बात प्राचिन समय से ही उठती रही है। अन्तर्राष्ट्रीय समाज में मानव अधिकारों की आवश्यकता द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुये भीषण नरसंहार एवं अमानवीय व्यवहार के कारण हुई। वर्तमान में मानव अधिकार संरक्षण आंदोलन का प्रारंभ संयुक्त राष्ट्रसंघ के घोषणा १० दिसम्बर, १९४८ में हुई थी। संयुक्त राष्ट्रसंघ भी बच्चों अधिकारों के संबंध में भी चिंतित रहा है, जिसके कारण २० नवम्बर १९५९ को बच्चों के अधिकारों का घोषणा पत्र अलग से जारी किया गया। बच्चों राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण धरोहर हैं, बच्चों देश का भविष्य हैं, कल देश की बागडोर इन्हीं की हान्थों में होगी इसलिए बच्चों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। इस बात का ध्यान रखते हुए सबसे पहले सन् १९२४ में बाल अधिकारों के संबंध में जेनेवा घोषणा, २० नवम्बर १९५९ को बाल अधिकारों की घोषणा १० दिसम्बर, १९४८ मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा की गई। नागरिक, राजनैतिक, अर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार, बच्चों के कल्याण से जुड़ी एजेंसियों, संस्थानों के संबद्ध कानूनों एवं प्रपत्रों को मान्यता दी गई। जिसका उल्लेख अनुच्छेद १०, २३ एवं २४ में मिलता है। भारत में राष्ट्रीय बाल नीति १९७४, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग २३ फरवरी २००७ बच्चों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

१९९० के दशक की शुरुवात में, जर्मन समाजशास्त्रज्ञ उलरिच बेक (Ulrich beck) ने “Risk Society: Towards a New Modernity” (1992) इस ग्रंथ में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर समाज शास्त्रमें ‘जोखिम समाज’ कि संकल्पना स्पष्ट कि हैं, ‘जोखिम समाज’ एक ऐसी दुनिया है, जिसमें खतरे हैं, और अनिश्चितता कि तीव्र भावना हैं। इन खतरों से लड़ने के लिए सुरक्षा के लिए सामाजिक संबंध और सामाजिक संस्थानों के बारे में व्यवस्था कि थी। इसका विवेचन इस ग्रंथ में किया है। इस ग्रंथ के लगभग तीन दशक बाद यह तर्क किया जा सकता है कि, आज हम एक जागतिक ‘कोविड समाज’ में रह रहे हैं। इस कोरोना महामारी ने दुनिया भर में उथल—पुथल मचाई है। इस कोरोना महामारी से हम लड़ कर ‘कोविड समाज’ के बाद कि एक अच्छी दुनिया बना सकते है।

इतिहास में अब तक ऐसी कोई महामारी नहीं हुई, जिसने पूरी मानव जाति को इतना आधिक प्रभावित किया हो। जीवन की ऐसी कोई घटना नहीं, जिस पर कोविड—१९ का असर नहीं हुआ हो। इस महामारी की वजह से हमारे रहन—सहन और सोच—विचार के तरीके, शिक्षा, व्यवसाय, व्यापार, राजनीति, जन सुरक्षा, विदेश नीति, कानून, चिकित्सा, अर्थव्यवस्थाएँ, विकास की प्राथमिकताएँ, मनोरंजन से लेकर पारिवारिक रिश्तों में भी उथल—पुथल दिखाई दे रही हैं। कोविड—१९ का प्रभाव सभी पर पड़ा है। इस महामारी के कारण जीवन शैली में कई तरह के बदलाव आए हैं। ये महामारी सिर्फ एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदा नहीं है, बल्कि एक मानवीय, आर्थिक और सामाजिक संकट भी बनता जा रहा है। कोविड—१९ का बच्चों पर प्रभाव हुआ है, इसिलिए बच्चों को सिर्फ कोरोना महामारी सेही सुरक्षित नहीं रखना है, बल्कि उनके मानसिक और शारिरिक विकास का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए है।

बाल अधिकार

अभी हम हर जगह एक ही नाम सुनते है, वह है कोरोना। कारण एक ही है, क्योंकि इसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है, और इसके भयानक रुप के बावजूद, हम इसे सही मार्गदर्शन और सावधनियों से रोक सकते हैं। राष्ट्र के बच्चे देश के भावी नागरिक है। कोई भी देश बच्चों की आवश्यकताओं के देखभाल की अनदेखी नहीं कर सकता है। एक बच्चा इस दुनिया में आने पर क्या सोचता है और उसके क्या विचार होते हैं। इन सब बातों को हम ‘मेमी जेने कोल’ की इन पंक्तियों में देख सकते है—

“ मैं बच्चा हूँ। सारी दुनिया मेरे आने की प्रतिक्षा करती है। पूरी पृथ्वी अभिरुचि के साथ आशा करती है कि मैं क्या बनूंगा। सभ्यता अधर में लटकी हुई है। जो आज मैं हूँ, कल की

दुनिया वहीं होगी। मैं बच्चा हूँ। आप अपनी मुट्ठी में मेरा भाग्या नियन्त्रित किए हैं, बहुधा, आप निर्धारित करते हैं कि मैं सफल होऊँगा या असफल। मुझे दें, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, वे चीजें जो मुझे प्रशिक्षित करें, मैं निवेदन करता हूँ, ताकि मैं दुनिया के लिए आशीर्वाद वरदान बन सकूँ।”

बालक के आधिकार के विषय में संयुक्त राष्ट्रने सन् १९४६ से ही प्रारम्भ कर दिया था। जब राष्ट्रसंघ के तत्वावधान में निर्मित जेनेवा घोषणा १९२४ को विश्व के सभी लोगों पर आबद्धकर बना दिया जाये। राष्ट्रसंघ द्वारा पारित जेनेवा घोषणा के चार बिन्दु इस प्रकार हैं—

- बालक के सामान्य विकास तात्विक और आध्यात्मिक के लिए अपेक्षित साधनों को प्रदान किया जाना चाहिए।
- वह बालक जो भूखा है, उसे खिलाया जाना चाहिए। वह बालक जो बीमार है, उसे सहायता दी जानी चाहिए। वह बालक जो पिछड़ा है, उसे बढ़ने में सहायता दी जानी चाहिए, अपराधी बालक को सुधारना चाहिए।
- संकट के समय बालक को सबसे पहले राहत मिलनी चाहिए।
- बालक को ऐसी स्थिति में रखा जाए कि वह जीविका अर्जन कर सके और हर प्रकार के शोषण के विरुद्ध उसकी रक्षा की जानी चाहिए।

कोविड—१९ का बच्चों पर प्रभाव जागतिक प्रतिक्रियाँ

डच एनजीओ किड्स राईट्स के अनुसार बच्चों की हित में किए गए सालों के प्रयासों और प्रगती को, कोरोना महामारी का संकट कई साल पिछे ले जाएगा। इसिलिए, बच्चों के अधिकारों पर पहले ज्यादा ध्यान देने कि जरूरत है। एनजीओ के संस्थापक मार्क डूलार्ट ने अपना सालाना सर्वेक्षण पेश करते हुए यह कहा कि, 'ये महामारी जिसकी वजह से आज सरकारों के पास स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए पैसे नहीं हैं, कल लाखों बच्चों गरिबी की दलदल में ढकेल देगी।'

संयुक्त राष्ट्रसंघ के महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने कहा कि कोविड—१९ का समाज के निधनतम और निबलतम लोगों पर भी बहुत खतरनाक प्रभाव है, इस महामारी से निपटने के उपाय भी महासचिव ने बताए हैं। इसका बच्चों पर प्रभाव हो सकता है, दुनियाँ भर की बच्चोंओं के बारे में महासचिव ने चिंता व्यक्त कि है, ज्यादातर बच्चें अभी इस बीमारी के बहुत गंभीर लक्षणों से बचे हुए हैं। लेकिन उनकी जिंदगीयाँ पुरी तरह से उथल—पुथल हो गई हैं।'

भारत में यूनिसेफ की प्रतिनिधि डॉ यास्मीन अली हक ने कहा की, ' कोरोना महामारी द्वारा कम लेकिन अप्रत्यक्ष और दीर्घकालिन नतीजों से बहुत अधिक, विशेष रुप से कमजोर बच्चों की कोमलता को उजागर किया है। लाखों कमजोर बच्चों अपने विकास और सीखने के अवसरों, जीवित रहने और आगे बढ़ने के अपने अधिकार खो रहे हैं। सबसे कमजोर परिवारों को आघातशोषक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं द्वारा संरक्षित करने कि आवश्यकता है जो उन्हें स्वास्थ्य सेवा बच्चों की स्कूली शिक्षा और पोषण और आवश्यक सेवाओं का खर्च उठाने में मदद कर सकते हैं।

भारत में कोविड—१९ का बच्चों पर प्रभाव

भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने बच्चों पर कोविड—१९ प्रभाव को देखते हुए बच्चों के अधिकार के संरक्षण और भविष्य के जोखिमों को देख कर सभी हितधारकों द्वारा अधिक से अधिक तैयारी करने का आवाहन किया। कोविड—१९ के दौरान स्वस्थ, शिक्षा, बाल देखभाल और अनाथ बच्चों इन चार प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया है। इस जागतिक स्वास्थ्य आपदाएं से निपटने के लिए मानवधिकारों कि भुमिका महत्वपूर्ण है, और मानव कल्याण के लिए मानवधिकार जरूरी है।

भारत में तालाबंदी की वजह से बच्चों में असामान्य बर्ताव, गुस्सेवाला व्यवहार पैदा हो गया है। कोविड—१९ की दुसरी लहर के दौरान टीवी और मोबाईल पर आधिकतर समय गुजारने; बच्चों का कोई सामाजिक मेल—जोल नहीं होने और माता—पिता को पर्याप्त समय बच्चों के लिए नही देने इन कारणों से सभी उम्र वर्ग के बच्चों पर मनोवैज्ञानिक असर पडा है। उदा. द्वारका में आकाश हेल्थकेयर में बालरोग तज्ज्ञ डॉ. मीना जी ने कहा कि, बडे उम्र के बच्चों में चिडचिडापना, बैचनी, घबराहट और व्यवहार से जुडी समस्याएँ हो रही है, तो दो से तीन साल कि उम्र के बच्चों में देरी से विकास हो रहा है। जो बच्चे न तो किशोर हैं और नाहीं छोटे है, उन्हें

पढ़ने में दिक्कत, गुस्सा दिखाना, सामाजिक दुरी बनना जैसी व्यवहारगत दिक्कतें आ रही हैं। इसका मुख्या कारण कोविड—१९ का संक्रमण की दुसरी लहर की गंभीरता और तिसरी लहर का डर है।

भूखमारी और कुपोषण के शिकार बच्चे भीख माँगते, कचरा बीनते, चाट—चाय के ठेलों पर जूटे बर्तन धोते, मजदूरी करते बच्चों की एक अलग ही आधिकार हनन की कहानी है, और तो और बच्चों पर कोविड—१९ का अलग ही प्रभाव पड़ा है। और इससे ज्यादा खतरे हो सकते हैं। इसलिए कोविड—१९ से बच्चों को बचाने के लिए, बाल अधिकारों और बच्चों संबंधित कानूनों और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना होगा। और बाल मानव अधिकार संरक्षण की दिशा में कारगर कदम उठाना है, तो हमें हमेशा ही बच्चों के प्रति संवेदनशील रहना होगा। बच्चे राष्ट्र की महत्वपूर्ण संपत्ति हैं, उनकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है।

कोविड—१९ का मुख्य प्रभाव क्षेत्र

बच्चों के शिक्षा, भोजन, सुरक्षितता और स्वास्थ्य इन मुख्य क्षेत्र पर कोविड—१९ का मुख्य प्रभाव हुआ है। इन क्षेत्र को हम विस्तार से देख सकते हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में

महामारी का असर पूरी दुनिया की शिक्षा पर पड़ा है। खासतौर से जो बच्चों डिग्री पूरी कर रहे हैं या नौकरी पर जाने की तैयारी कर रहे हैं या स्कूल की पढ़ाई पूरी कर के ऊंची कक्षा में जाने वाले हैं। कम खर्च से चलाने वाले स्कूल बंद हो कर कई अध्यापकों के रोजगार चले गए।

तालाबंदी के समय लगभग सभी बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, कुछ स्कूल दुरस्थ शिक्षण महंगा कर रहे हैं, लेकिन ये सभी बच्चों को उपलब्ध नहीं है। धीमी और महंगी इंटरनेट सेवाओं से ज्यादातर बच्चें इनसे वंचित हैं। उदा. शहरों में इंटरनेट सेवा अच्छी तरह से काम करती है, लेकिन गांवों में इंटरनेट सेवा धीमी होती है, लॉपटॉप, मोबाईल जैसे माध्यमों कि कमतरता होती है। इन कारणों से सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध नहीं होती है। ऑनलाइन पढ़ाई का प्रचार आकर्षक है, पर व्यावहारिक परिस्थितियां उतनी आकर्षक नहीं। कई गरीब परिवारों में एक स्मार्टफोन भी नहीं है, जिन परिवारों में स्मार्टफोन है वे आर्थिक परिस्थितियों कारण रिचार्ज नहीं कर पाते। ऑनलाइन शिक्षा आकर्षक लगती है, पर छात्र और अध्यापकों के आमने—सामने से जो बात बनती है, वह इस ऑनलाइन शिक्षा में निर्माण नहीं हो सकती।

कोविड—१९ के संक्रमण के वजह से स्कूल बंद हैं। ऐसे में बच्चों कि दिनचर्या में भी बदलाव हुआ है। किसी भी वक्त खाने पिये और सोने के वजह से उनकी सेहत बिगड़ति जा रही है, और नींद पूरी न होने से नींद से जूड़ी समस्याएँ निर्माण हो रही हैं। एक जगह लगातार रहना, दोस्तों, स्कूल से दूरी इन कारणों से बच्चों में तनाव निर्माण हो रहा है, और कोविड—१९ के संक्रमण का डर भी तनाव को बढ़ रहा है, इससे वे अपनी शिक्षा में मन नहीं लगा पा रहे।

भोजन के क्षेत्र में

जागतिक आर्थिक मंदी के कारण परिवारों में वित्तीय अभाव है। और बच्चों के भोजन, खाद्य पदार्थों की जरूरतों पर खर्च में भी परिवारों को कटौती करनी पड़ रही है। उन बच्चों के बारे में भी सोचना होगा, जिनका पेट स्कूलों में चलाने वाली मध्याह्न भोजन योजना (Midday meal scheme) की वजह से भरता था। पौष्टिक आहार की बात छोड़ो दो वक्त की रोटी भी नहीं मिलती। इससे बच्चों में भूखमारी और कुपोषण के शिकार हो रहे हैं।

दुनिया भर के लगभग १८८ देशों में स्कूल बंद होने के कारण १.५ बिलियन बच्चे स्कूल से बाहर हैं। यह उन बच्चों के लिए मुश्किल है, जिनका भोजन स्कूल पर निर्भर है। १४३ देशों में लगभग ३६८.५ मिलियन बच्चे स्कूल के भोजन पर निर्भर हैं। तालाबंदी से इन बच्चों में कुपोषण की संभावना बढ़ जाएगी।

सुरक्षितता के क्षेत्र में

सभी बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, उनके परिवार तालाबंदी में हैं, और जागतिक आर्थिक मंदी तेजी से बढ़ती जा रही है। ऐसे में परिवारों में दबाव का स्तर बढ़ रहा है। बच्चें घरेलू हिंसा और दुरव्यवहार से पीड़ित और असाह्य दर्शक दोनों बन रहे हैं। स्कूल बंद होने के कारण अहम अग्रिम चेतावनी प्रणालियाँ गायब हैं। लडकियों के स्कूलों से बाहर हो जाने का खतरा भी है, और ये स्थिति किशोरावस्था में गर्भधारण के मामले बढ़ोत्तरी का कारण बन सकते हैं। और हम

इस स्थिति को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। बच्चे अब ज्यादा वक्त ऑनलाईन पर गुजारते हैं, जिससे उनके लिए खतरे भी बढ़ रहे हैं। इससे बच्चे ऑनलाईन यौन शोषण और बहकाने—फुसलाने का शिकार हो सकते हैं।

दोस्तो और संगी साथियों के मुलाकातें नहीं होने के कारण और अकेलापण महसूस होने के कारण जोखिम भरे हालात पैदा हो सकते हैं। वों यौन आधारित तस्वीरों का आदान प्रदान लगे साथहि ज्यादा वक्त ऑनलाईन पर गुजारने के कारण बच्चों हानिकारक व हिंसक सामग्री चपेट में आ सकते हैं। और डरा धमकाने का भी शिकार हो सकते हैं। इसिलिए बच्चों को सुरक्षित रखने में सरकारों और परिवारों कि अहम भूमिका है।

बच्चों के माता—पिता कोविड—१९ से मृत्यु के कारण आज लाखों बच्चों अनाथ हो गए हैं। इन बच्चों का शोषण, बाल तस्करी, भीख मांगने और दुरव्यावहारों कि चपेट में जाने से पहले उनके अधिकारों कि रक्षा करना जरूरी है।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में

परिवारों पर कोविड—१९ का संकट आने पर खर्चे ज्यादा और अमदनी कमी होने के कारण उन्हें स्वास्थ्य और खाद्य पदार्थों की जरूरतों पर खर्च में भी कटौती करनी पड़ेगी जिससे विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं पर आधिक प्रभाव पड़ा है। वित्तीय अभाव के कारण बच्चों कि सामाजिक भावनात्मक दक्षताओं, संज्ञानात्मक विकास और शैक्षणिक सफलता को कमजोर कर सकता है, इससे बच्चों कि मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ सकता है।

बच्चों की दुर्दशा के लिए कोविड—१९ से निर्माण हुई कमजोर आर्थिक स्थिति अधिक जिम्मेदार होती है। गरीब माता—पिता अपने बच्चों को सही पोषण, शिक्षा और सुरक्षित माहौल उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। इसिलिए बाल शोषण इसी वर्ग में सबसे अधिक होता है।

छोटे बच्चों को सामाजिक भेद का मतलब समझाना मुश्किल है। पर हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि बच्चों समुदाय आधारित प्रसारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। छोटे बच्चों को तनाव और अकेलापण का खतरा होता है। घरेलू हिंसा, बाल विवाह और बाल गर्भावस्था के मामले दुनिया भर में बढ़ गए हैं।

जागतिक आर्थिक मंदी तेजी से पकड़ रही है। एक सार्वजनिक स्वास्थ्य के आपदा के रूप में शुरू हुई इस बीमारी ने तहलाका मचाया है। दुनिया भर के देशों के सरकारों और दानदाताओं ने सभी बच्चों की शिक्षा, भोजन, सुरक्षितता और स्वास्थ्य इन पर प्राथमिकता देने की पुकार लगाई है।

परिवार के सदस्य क्या कर सकते है।

बच्चों के विकास में परिवार की अहम भूमिका होती है, इसिलिए बच्चों का हर दिन का रूटीन बनाकर उनमें खाना—पिना—सोना, खेलना—कुदना, शिक्षा, अच्छी आदते विकसित करना, मनपसंद कार्य करने के लिए प्रेरित करना, योगा, कसरत, नृत्यकलाएँ सिखाना, परिवार के सदस्य बच्चों के साथ समय बिताना इन आधार पर बच्चों को अकेलेपण से बचा सकते हैं, उनका मानसिक और शारिरिक विकास पर भी पूरा ध्यान दे सकते हैं।

कोरोना महामारी की वजह से बच्चों की शिक्षा पर भी असर पड़ रहा है। इस समय जरूरी है की घर के सदस्य या माता—पिता बच्चों की पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें पढ़ाई का समय बनाकर और उस समय उनको पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करें। घर से बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए ऑनलाईन माध्यमोंका सहारा लेने का सुझाव दें। इनमें टीवी, रेडियो, ऑनलाईन पढ़ाई लिखाई सिखाते हैं।

अक्सर बच्चों अपने खेलों में इतने खो जाते है, कि बच्चों को खाने—पिने का ध्यान भी नहीं रहता इसिलिए समय पर बच्चों को खाने—पिने का ध्यान रखाना चाहिए। इसी तरह सोने—जागने का समय निश्चित किया तो बच्चों को निंद से जुडी संबंधित समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। बच्चों के लिए शिक्षा के साथ खेलना—कुदना भी जरूरी है, बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य के विकास के लिए खेलना आवश्यक है। कहा जाता है कि जो आदते बच्चोंओं को बचपन में सीखा दी जाती है उन्हें वो जिंदगी में कभी नहीं भुलते। परिवार में उन्हें अच्छी—अच्छी आदते सीखा सकते हैं। रोज ब्रश करना, योगा एवं कसरत करना, अच्छे से तैयार होना, हाथ धोना और साफ—सफाई रखने से कोरोना महामारी से बचाने के लिए साफ सफाई का महत्व समझाना।

तालाबंदी के समय कई बच्चों अकेलापन महसूस करने लगे हैं, बच्चों को इस अकेलापन से दूर करने के लिए उन्हें मनपसंद काम करने के लिए प्रेरित करें बहुत से बच्चों को चित्रकारी, नृत्यकला का शोक होता है, उन्हें मनपसंद चीजों को करने से न रोके। बच्चों के साथ समय व्यतित करने से बच्चों का अकेलापन दूर हो सकता है।

बच्चों से उनका बचपन छीन लेना बच्चों के मानवाधिकारों के हनन का सबसे बड़ा दृष्टांत है, जो कि बाल अत्याचार की श्रेणी में आता है। बच्चों की बुनियादी जरूरतें पूरी हो सकें उन्हें शिक्षा और मानसिक व शारीरिक सुरक्षा का माहौल मिले तो भाविष्य में एक बेहतर समाज का निर्माण किया जा सकता है। वस्तुतः यह कार्य इकाई रूप में आगे बढ़ने से ही संभव हो सकेगा, जिसकी शुरुवात परिवार से हो और आगे समाज एवं देश इसे पूरा करे।

सारंश

कोविड-१९ एक मानवीय, आर्थिक और सामाजिक संकट है इस आपदा से उबारने के प्रयासों में हमें बेहतर दूनिया बनानी होगी, जिसमें सर्वसमावेशी अर्थव्यवस्था और सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास लक्ष्यों पर आधारित होगी। ऐसे में इस महामारी ने पूरी दूनिया भर के परिवार, माता-पिता और बच्चों को जोखिम में डाला है। बच्चों के शिक्षा, भोजन, सुरक्षितता और स्वास्थ्य इन मुख्य क्षेत्र पर कोविड-१९ का मुख्य प्रभाव हुआ है। भारत के पुर्व राष्ट्रपती डॉ. ए.पी.जी अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि, बच्चें देश का भविष्य हैं। इसिलिए हमें बच्चों कि सुरक्षा सुनिश्चित करके उनकी जिन्दगी को बेहतर बनाने के लिए हमें काम करना चाहिए....

संदर्भ ग्रंथ

- भावना वर्मा, नरेन्द्र शुक्ला, 'मानव अधिकार के विविध आयाम' पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, २०१२.
- सत्यार्थी कैलाश, 'कोविड-१९ सभ्यता का संकट और समाधान' प्रभात प्रकाशन, नवी दिल्ली, २०२०.
- जागीर मुकेश, 'कोविड-१९ संकट और बच्चों पर इसका विनाशकारी प्रभाव', दैनिक जागरण, २०२०.
- Bornstein Marc H., "psychological insights for understanding COVID-19 and families, parents and children" Published by Routledge Taylor & Francis Group, London & New York, 2021.
- Lupton Deborah; willis Karen "The COVID-19 crisis: social perspective" Published by Routledge Taylor & Francis Group, London & New York, 2021.
- दैनिक जागरण
- दैनिक अमर उजाला
- दैनिक भास्कर
- दैनिक नवभारत
- <https://news.un.org>
- <https://www.nhrc.nic.in>
- <https://www.amarujala.com>
- <https://www.tv9hindi.com>